Electricity Consumer Grievances Redressal Forum
Bhilal Steel Plant

Erstwhile BSP Primary Hindi Medium School, Maroda Sector. Bhilai
Email: bspcgrf@gmail.com , cgrfbsp@sail-bhilaisteel.com, Phone# 07882858199, 07882858291

C.G.R.F (BSP) Bhilai
Outward No. ...82...
Date - ...02/09/2026...

Chairman: A.K. Chouhan
Member: B. L. Meena

Case No. 2026/14

Mr.Sailesh Kumar Rai (Age 67 Yr) -----------Applicant
Qr No. 4-B, Street-35, Sector-09
Bhilai

Versus

Town Electrical Engg. Deptt. ------------Respondent
Bhilai Steel Plnat, Bhilai
490006(C.G)

आदेश

(पारित दिनांक 02/09/2026)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आवेदक, श्री शैलेष कुमार राय (आयु ६७ वर्ष) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस फोरम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर यह शिकायत की गई है कि उनके द्वारा विद्युत देयकों का नियमित एवं अद्यतन भुगतान किए जाने के बावजूद उन्हें **मौखिक रूप से उनके निवास कि विद्युत आपूर्ति विच्छेदित किए जाने की सूचना दी गई।**

आवेदक द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में अध्यक्ष, CGRF को संबोधित पत्र तथा दिनांक 12.11.2025 से 22.05.2026 तक की अवधि के विद्युत देयकों की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं।

आवेदक द्वारा मांगी गई राहत

आवेदक ने इस फोरम से अनुरोध किया है कि विद्युत देयकों/बिलों का समय पर भुगतान किए जाने के बावजूद विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने कि न तो मौखिक सूचना दी जाएं और न ही विधुत विच्छेद किया जाएं तथा तथा इस संवंध में अनावेदक-DISCOM को आवश्यक एवं उचित निर्देश प्रदान किए जाएं।

प्रकरण की कार्यवाही

इस फोरम द्वारा दिनांक 03.06.2026 को अनावेदक-DISCOM को नोटिस जारी कर दिनांक 15.06.2026 तक अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करने तथा प्रकरण को दिनांक 17.06.2026 को सुनवाई हेतु नियत किया गया।

निर्धारित अवधि में अनावेदक द्वारा कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके स्थान पर अनावेदक द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया, जिसे फोरम द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद भी अनावेदक द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात फोरम द्वारा दिनांक 09.07.2026 को पुनः स्मरण-पत्र जारी कर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु तीन दिवस

का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया। तथापि, उक्त अवसर का भी अनावेदक द्वारा उपयोग नहीं किया गया और न ही कोई उत्तर अथवा प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

फलतः फोरम द्वारा अंतिम नोटिस जारी करते हुए प्रकरण को दिनांक **25.08.2026** को सुनवाई हेतु नियत किया गया। दिनांक 25.08.2026 को भी अनावेदक-DISCOM की ओर से कोई प्रतिनिधि फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक से दूरभाष के माध्यम से संपर्क किए जाने पर उसके द्वारा सूचित किया गया कि दुर्घटना में घायल होने के कारण वह भी निर्धारित तिथि पर सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ रहा।

फोरम के विचार एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध आवेदन, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा संबंधित अवधि के विद्युत देयकों की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं तथा यह आरोप लगाया गया है कि देयकों का भुगतान किए जाने के बावजूद उसे विद्युत आपूर्ति विच्छेदित किए जाने की मौखिक सूचना दी गई।

अनावेदक-DISCOM को अपना पक्ष स्पष्ट करने एवं आवेदक की शिकायत का प्रतिवाद करने हेतु पर्याप्त एवं बार-बार अवसर प्रदान किए गए। तथापि, अनावेदक द्वारा न तो कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया, जिससे आवेदक की शिकायत का खंडन अथवा विद्युत आपूर्ति विच्छेदन की कथित सूचना को उचित ठहराया जा सके।

फोरम की दृष्टि में, अनावेदक को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद उत्तर प्रस्तुत न करना तथा फोरम की कार्यवाही में अपेक्षित सहयोग न करना उचित नहीं है।

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आवेदक की शिकायत का अनावेदक द्वारा कोई प्रभावी प्रतिवाद नहीं किया गया है। अतः इस स्तर पर आवेदक की शिकायत अप्रतिवादित (Uncontroverted) बनी हुई है।

विश्लेषण

फ़ोरम द्वारा प्रस्तुत विद्युत देयकों एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से यह पाया गया कि आवेदक ने संबंधित अवधि के विद्युत देयकों का अभिलेख प्रस्तुत किया है तथा विद्युत आपूर्ति विच्छेदन की मौखिक सूचना के संबंध में शिकायत की है।

इसके विपरीत, अनावेदक-DISCOM द्वारा बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद कोई ऐसा उत्तर, दस्तावेज या अन्य सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई जिससे आवेदक के कथन का खंडन हो सके। अतः अभिलेख पर आवेदक की शिकायत का कोई प्रभावी खंडन उपलब्ध नहीं है। फोरम यह भी अभिमत व्यक्त करता है कि जब तक विद्युत आपूर्ति विच्छेदित किए जाने का कोई विधि सम्मत एवं विधिवत स्थापित आधार अभिलेख पर उपलब्ध न हो, तब तक केवल मौखिक सूचना के आधार पर विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने की कार्रवाई किया जाना उचित नहीं होगा।

Electricity Consumer Grievances Redressal Forum
Bhilai Steel Plant
Erstwhile BSP Primary Hindi Medium School, Maroda Sector, Bhilai
Email: bspcgrf@gmail.com , cgrfbsp@sail-bhilaisteel.com, Phone# 07882858199, 07882858291

फोरम का आदेश

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत यह फोरम निम्न आदेश पारित करता है :—

(i) आवेदक की शिकायत को, अनावेदक-DISCOM (TEED) द्वारा उसका कोई प्रभावी प्रतिवाद प्रस्तुत न किए जाने के कारण, अभिलेख पर अप्रतिवादित माना जाता है।

(ii) अनावेदक-DISCOM (TEED) को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक की विद्युत आपूर्ति को तत्काल **प्रभाव से विच्छेदित करने से विरत रहे**, जब तक कि विद्युत आपूर्ति विच्छेदन हेतु कोई विधिसम्मत आधार उपलब्ध न हो।

(iii) आवेदक की विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन, यदि कभी आवश्यक हो, तो केवल **प्रचलित कानून, लागू नियमों तथा निर्धारित विधिक प्रक्रिया का विधिवत पालन** करते हुए ही किया जाएगा।

(iv) अनावेदक-DISCOM (TEED) को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे।

इस प्रकार प्रकरण का निस्तारण उपर्युक्त निर्देशों के साथ किया जाता है।

आदेशानुसार।

07/09/26

(अनिल कुमार चौहान)
अध्यक्ष (ECGRF, BSP)
Anil Kumar Chouhan
Chairman
Consumer Grievance Redressal
Forum, Bhilai
Bhilai Steel Plant

दिनांक : ०२/०९/२०२६
स्थान : भिलाई

Chairman, Consumer Grievance Redressal Forum Bhilai Steel Under Sec 42(5) of IE Act